राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय,पंत कृषि भवन, जयपुर

दूरभाष नं. 0141–5101965ई–मेल jdagr_atc1@rediffmail.com

क्रमांकः एफ.8(5)/आ.कृ./एटीसी/पीकेवीवाई/दि.नि/2016–17/ 867–971 दिनांकः 11/05/2016

1. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् .....
2. समस्त उपनिदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् .....

विषय :– परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत वर्ष 2015–16 में चयनित कलस्टरो में द्वितीय वर्ष (2016–17) का कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश भिजवाने बाबत।

प्रसगः– आयुक्तालय के पूर्व समसख्यक पत्रांक 2197–2297 दिनाक 31.7.2015 (वर्ष 2015–16 के दिशा–निर्देश) के क्रम में

जैसा कि आपको विदित है कि परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत विभिन्न गतिविधियॉ कृषक के चयनित एक ही खेत (भूमि के उसी टुकडे पर) तीन वर्षो तक क्रियान्वित की जानी है ताकि जैविक उत्पादन की प्रकिया पूर्ण हो और जैविक उत्पाद प्राप्त किया जा सके। परम्परागत कृषि विकास योजना के तहत प्रांसागिंक पत्र द्वारा वर्ष 2015–16 में दिशा–निर्देश जारी कर राज्य में कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया है। वर्ष 2015–16 में चयनित कलस्टर तथा कृषक की भूमि के उसी टुकडे पर द्वितीय वर्ष (2016–17) में क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यक्रमो/गतिविधियो के दिशा– निर्देश निम्न प्रकार है।

अग्रणी संसाधन सहायक (एल.आर.पी.) हेतु प्रशिक्षणः– चयनित अग्रणीय संसाधन सहायक (एल.आर.पी.) का तीन दिवसीय प्रशिक्षणों का आयोजन उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र, एटीसी, कृषि अनुसंधान केन्द्र, आईसीएआर संस्थानों पर करवाया जावेगा। इस हेतु 250/– प्रति दिन प्रति कलस्टर की दर से व्यय किये जाने का वित्तीय प्रावधान है। तीन दिवसीय प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु प्रति इकाई कुल 750/– रूपये व्यय किये जाने का वित्तीय प्रावधान है। इस प्रशिक्षण का आयोजन कृषि विभाग तथा NCOF/RCOP/ICAR/SAUS के सहयोग से किया जावेगा। इन प्रशिक्षणों में मृदा नमूनों का संग्रहण एवं गुण नियंत्रण, जैविक उत्पाद का पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्राण्डिंग एवं जैविक उत्पादन विपणन, जैव उर्वरक एवं जैव कीटनाशक के तैयार करने हेतु सामुदायिक आधारभूत संरचना तैयार करना आदि विषयों पर तकनीकी जानकारी दी जायेगी। इन प्रशिक्षणों में आई.सी.एस. का कार्य करने वाली संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा सकता है। प्रशिक्षण का कार्य 15 जून 2016 तक पूर्ण कर लिया जावे।

कृषकों का ऑनलाईन पंजीकरणः– कलस्टर हेतु चयनित प्रत्येक कृषक सदस्य का 100 रूपये की दर से व्यय किये जाने का प्रावधान रखा गया है। इसमें पी.जी.एस. आधारित कृषक का ऑनलाईन पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) करने के लिए विस्तृत विवरण यथा फार्म हिस्ट्री, कोपिंग पैटर्न फोलोवड, आदान उपयोग, फारमर्स प्लेज (Pledge) बैठक का आयोजन, प्रशिक्षण एवं अन्य विवरण पी.जी.एस. प्रमाणीकरण देना होगा। प्रत्येक कलस्टर हेतु डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं कन्सलटेन्ट के माध्यम से करवाया जा सकता है जो इसके लिए जिम्मेदार होगें।

मृदा नमूनो का संग्रहण एवं परीक्षणः– कलस्टर क्षेत्र में से कृषकों के खेत से रेन्डम आधार पर 21 मृदा नमूनों का संग्रहण एवं जांच (प्रति वर्ष प्रति कलस्टर) का कार्य किया जावेगा ताकि मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों की जानकारी हो सके। जिसमें प्रति नमूना रूपये 190/– की दर से तीन वर्ष के लिए वित्तीय प्रावधान रखा गया है।

इस कार्य हेतु निर्धारित राशि का उपयोग संयुक्त निदेशक कृषि(रसायन) के द्वारा जारी निर्देश जो सोयल हेल्थ कार्ड के सबंध में जारी किये गये है के अनुसार व्यय किया जावे। उद्यानिकी एवं कृषि प्रक्षेत्रों से मृदा नमूनों के संग्रहण हेतु एल.आर.पी. उत्तरदायी होंगे। उक्त नमूने राज्य, केन्द्र सरकार/ICAR/SAUS की मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण/जाँच कराये जायेगें। मृदा नमूनों के परिणाम के आधार पर प्रयोगशाला द्वारा सोयल हैल्थ कार्ड प्रदान किया जावेगा तथा जैविक खेती की पैकेज ऑफ प्रेक्टिसिस की सिफारिश की जावेगी। प्रति वर्ष प्रत्येक खेत का नमूना लेकर परीक्षण कराया जाना चाहिये।

जैविक प्रक्रिया का रिकार्ड संधारण :– जैविक खेती में सहभागिता जैविक प्रतिभूति प्रणाली के प्रमाणीकरण हेतु जैविक खेती विधियों द्वारा Conversion के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का रिकार्ड संधारण, आदान उपयोग, फसल पद्धति, जैविक खाद एवं जैव उर्वरक का प्रयोग का रिकार्ड संधारण सम्मिलित है। इसमें कलस्टर के प्रत्येक सदस्य हेतु रूपये 100/– व्यय किये जाने का प्रावधान है। एल.आर.पी./कलस्टर/समूह द्वारा कलस्टर में जैविक प्रक्रिया के रिकार्ड संधारण, कृषक डायरी संधारण तथा अन्य गतिविधियों हेतु कम्प्यूटर युक्त Data Entry Operator/Consultants रखे जाने हेतु प्रावधान किया गया है। जैविक खेती में परिवर्तन हेतु पी.जी.एस. आधारित प्रक्रिया का डोक्यूमेन्टेशन भी किया जायेगा इनके द्वारा पैकेज ऑफ प्रेक्टिसिस, सहभागिता PGS प्रमाणीकरण प्रक्रिया, कृषक हिस्ट्री आदि की प्रत्येक कलस्टर कार्यालय में हार्ड कापी एवं सॉफ्ट कापी का संधारण किये जाने की जिम्मेदारी होगी। एल.आर.पी. के सत्यापन (Verification) उपरान्त इसका भुगतान उप निदेशक कृषि (विस्तार) द्वारा संबंधित के बैंक खातें में किया जायेगा। यह कार्य एल.आर.पी द्वारा भी किया जा सकता है।

कलस्टर प्रक्षेत्रों का निरीक्षण :– पी.जी.एस. प्रमाणीकरण प्रकिया की कियान्विति हेतु प्रत्येक कलस्टर सदस्यों के क्षेत्र का तीन बार प्रतिवर्ष (खरीफ/रबी/जायद) निरीक्षण संबंधित एल.आर.पी. द्वारा किया जावेगा। इसके लिए रूपये 400/– प्रति निरीक्षण एल.आर.पी. को भुगतान किये जाने का प्रावधान है। प्रभावी निरीक्षण हेतु कृषकों द्वारा अपनाई जाने वाली जैविक कृषि विधियों का रिकार्ड तथा कृषक डायरी LRP. द्वारा संधारित की जावेगी। LPR द्वारा प्रत्येक कृषक को जैविक खेती की विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी देकर इनका डायरी में संधारण भी किया जावेगा।

अवशेष नमूनों का विश्लेषण :– जैविक उत्पादों में अवशेष जांच हेतु प्रति कलस्टर आठ नमूनों का विश्लेषण प्रतिवर्ष NABL प्रयोगशालाओं मे किया जावेगा जिसमें, प्रति नमूनें का विश्लेषण हेतु राशि रू. 10000/– व्यय किये जाने का प्रावधान है। नमूनों का संग्रहण LRP संदस्यों द्वारा चयनित कृषकों के खेतो से किया जावेगा। कीटनाशी एवं अन्य रसायनों के नमूनों के अवशेषों की जांच हेतु NABL प्रयोगशाला में भिजवाये जायेगे। कृषि विभाग द्वारा संचालित राजकीय कीटनाशी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा में सेम्पल भिजवाये जावे।

प्रमाणीकरण शुल्क :– कलस्टर के कृषकों को सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली प्रमाणीकरण का प्रमाण पत्र, क्षेत्रों का निरीक्षण, डोक्यूमेन्टेशन (रिकार्ड संधारण) एवं नमूनों की जांच के आधार पर 2000 रूपये प्रमाणीकरण शुल्क पी.जी.एस. प्रमाणीकरण हेतु वित्तीय प्रावधान रखा गया है।

प्रमाणीकरण के लिए प्रशासनिक व्ययः– प्रमाणीकरण के लिए प्रशासनिक व्यय हेतु रूपये 16900/– प्रति कलस्टर व्यय किये जाने का वित्तीय प्रावधान है। उक्त राशि का व्यय कलस्टर कार्यालय के रख रखाव, कार्यालय किराया, डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर, को ऑरडिनेटर की सेलरी, कार्यालय फर्निचर, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, के रख–रखाव एंव स्टेशनरी आदि पर किया जावेगा।

भूमि का जैविक परिवर्तनः– कृषकों को रासायनिक खेती से जैविक खेती में परिवर्तन करने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी। मृदा जांच तथा अपनाई जाने वाली जैविक खेती विधियों के आधार पर वार्षिक कार्य योजना तैयार की जायेगी। जैविक खेती में रसायनों का प्रवेश रोकने हेतु डोली बनाकर, गड्डें/खाई